

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप.प्रक. क.-1124/2016

संस्थित दिनांक-25.11.2014

फाईलिंग नं.-234503009242014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// **विरुद्ध** //

योगेश पिता चेतन परते, उम्र 20 साल, जाति गोंड,,
निवासी धुर्वा, थाना परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के तहत आरोप है कि दिनांक 04.11.2014 को रात्रि के करीब 08:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम धुर्वा में धारदार हथियार लोहे की छुरी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहतगण सुन्दरीबाई व चेतनसिंह को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। उक्त कृत्य धारा-324(काउन्टस-2) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया/प्रार्थिया सुन्दरीबाई ने थाना परसवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 04.11.2014 को मंगलवार की रात करीब 08:00 बजे वह खाना बना रही थी, तभी उसका लड़का योगेश और उसके पति चेतनसिंह का विवाद आंगन में हो रहा था, तब वह बीच-बचाव करने गई तो उसके लड़के योगेश ने उसे कुल्हाड़ी/हंसिया से मारा था वह अंधेरा होने से हथियार देख नहीं पाई थी। उसके बांये हाथ के अंगुठा में चोट आई थी तथा उसके पति चेतनसिंह को सिर व शरीर में चोटे आई थी। उन्हें उपचार हेतु परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया था। फरियादिया/प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी योगेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक-160/2014, धारा-324 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत चेतनसिंह का मेडिकल

परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की। पुलिस द्वारा आरोपी योगेश को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया/प्रार्थिया सुन्दरीबाई एवं आहत चेतनसिंह ने आरोपी से न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है किन्तु धारा 324 भा0द0वि0 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत निर्णय किया जा रहा है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.11.2014 को रात्रि के करीब 08:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम धुर्वा में धारदार हथियार लोहे की छुरी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहतगण सुन्दरीबाई व चेतनसिंह को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादिया/प्रार्थिया सुन्दरीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी योगेश को जानती है। आरोपी योगेश उसका पुत्र है। घटना उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से लगभग 18 माह पूर्व की उसके घर की है। घटना दिनांक को वह घटना के समय खाना बना रही थी तभी उसके पति चेतनसिंह एवं उसके लड़के योगेश का आपस में बैलजोड़ी को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके संबंध में उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.-1 दर्ज कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं करवाया था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी एवं उसके बयान भी नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में आरोपी योगेश के द्वारा धारदार हथियार लोहे की छुरी से मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 पुलिस को लेख कराने

से इन्कार किया।

6— साक्षी चेतनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। वह आरोपी का पिता है। घटना उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से लगभग 18 माह पूर्व की उसके घर की है। उसका एवं उसकी पत्नी सुन्दरीबाई का उसके लड़के योगेश से बैलजोड़ी को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके संबंध में उसकी पत्नी ने पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका मुलाहिजा नहीं हुआ था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। आरोपी से उनका राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-3 के कथन में आरोपी योगेश के द्वारा ठोस वस्तु से उसके सिर, गाल, हाथ में मारा था जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसकी पत्नी बीच-बचाव करने आई तो उसके बांये हाथ की हथेली में कट गया और खून बहने लगा था।

7— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी सुन्दरीबाई अ.सा.1 ने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि आरोपी से विवाद हुआ था परन्तु आरोपी ने किसी धारदार वस्तु से उसे नहीं मारा था। उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। इसी प्रकार साक्षी चेतनसिंह अ.सा.2 ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने किसी ठोस वस्तु से उसे नहीं मारा था और न ही उसकी पत्नी की हथेली में चोट आई थी। उपरोक्त साक्षियों ने आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा होने की बात स्वीकार की है। ऐसी स्थिति में आरोपी योगेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत सुन्दरीबाई एवं चेतनसिंह को धारदार हथियार लोहे की छुरी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी योगेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् रूप से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

बैहर

दिनांक—27.05.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट